संख्या-34/2021/1047/22-2-2020-17(426)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 फरवरी, 2021***

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिरवार पुत्र श्री वंशी, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सिरवार पुत्र श्री वंशी, ग्राम-सतरही, थाना-सोनवा, जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जबरदस्ती लाही ले जाने को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 14.09.1981 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने भाईयों के साथ बैल खरीदने बाजार जा रहे राम नरायण को लाठी, बल्लम व कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-319/1981 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 324/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बहराइच के आदेश दिनांक 21.10.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 02 वर्ष, 05 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 08 माह, 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकने, गॉव आने पर किसी भी प्रकार की शान्ति भंग व अन्य अपराध होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बंदी सिरवार पुत्र श्री बंशी द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी सिरवार (बन्दी संख्या-36/2018) पुत्र श्री वंशी, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2021/1047(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच/श्रावस्ती।
2-अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in